D

प्रपत्र 11

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पोखाल– मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग (4.875 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मार्ग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट खमाणा की आवादी 270, है जो अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि **शून्य है0**, वन पंचायत भूमि **शून्य** है0, नाप भूमि **2.858** है0, एवंम नाप भूमि मलवा 0.266 है0 , सिविल सोयम भूमि **1.530** है0, मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि **0.098 है0** कुल 1.628 सिविल सोयम भूमि प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अर्न्तगत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 **2** को निरस्त कर समरेखण नं0 **1** को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं0 **1** को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः **4.875.** कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 9 मीटर चौडाई में आने वाली आरक्षित वन भूमि **शून्य है0**, वन पंचायत भूमि **शून्य है0**, सिविल सोयम भूमि **1.530 है0** एवं मलबा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि **0.098 है0** अर्थात कुल **1.628 है0** प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन समंरक्षण अधिनियम **1980** के प्राविधानों के अर्न्तगत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, कोटद्वार, पौडी गढवाल	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, कोटद्वार, पौडी गढवाल	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, कोटद्वार, पौडी गढवाल

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

Scanned with CamScanner